महत्वपूर्ण एवं खास

फैल्ड देयक 31 मार्च तक होंगे स्वीकार

रायगढ़। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, रायगढ़ ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सूचित करते हुए कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में फैल्ड हुए देयक जिनका अभी तक फैल्ड देयक तैयार कर संबंधित कोषालय/ उपकोषालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, वे सभी देयक 31 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जायेंगे।

सड़क दुर्घटना में हुई अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु, मृतक व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी दे सकते है जूटमिल थाने में

रायगढ़। थाना प्रभारी थाना-जूटमिल रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात मृतक पुरूष उम्र करीब 35 से 40 वर्ष की मृत्यु 22 मार्च 2024 के दरम्यानी रात ग्राम-नेतनागर उड़िसा नेशनल हाईवे रोड में किसी अज्ञात भारी वाहन चालक के द्वारा मृतक को एक्सीडेन्ट कर कुचल देने से मृतक का शव क्षत-विक्षत हालत में होने की सूचना पर मौके पर जाकर फोटोग्राफी किया गया है। अज्ञात मृतक की पहचान नहीं हो पायी है। उक्त मृतक कार्बन कलर का टी-शर्ट पहना था। मृतक व्यक्ति की पहचान संबंधी किसी को कोई जानकारी हो तो वे जूटमिल थाना, रायगढ़ में दे सकते है।

रेलवे स्टेशन के दो स्टॉलों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 पर स्थित दो स्टॉलों में बुधवार की देर रात अचानक भीषण आग लग गई। दोनों स्टॉल जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। काफी मुश्किलों के बाद आग को नियंत्रित किया गया। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। वहीं किसी तरह की कोई मानवीय हानि नहीं हुई है। आरपीएफ पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्लेटफार्म नंबर 7 पर स्थित देवभोग मिल्क पार्लर और एक चाय स्टॉल में देर रात आग लगी। आग लगने से दोनों स्टॉल पूरी तरह जलकर राख हो गए। आगजनी की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

नक्सलियों ने मोबाइल टॉवर में लगाई आग

कोण्डागांव (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही जहां एक ओर राजनीतिक गलियारों में हलचल है तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों ने आतंक मचाया हुआ है। बीती देर रात नक्सलियों ने उत्पात मचाया। जहां उन्होंने ग्राम पंचायत केजंग के एक मोबाइल टावर पर आग लगा दी। इतना ही नहीं इन नक्सलियों ने आगजनी के बाद घटना स्थल पर बैनर पोस्टर भी लगाए। यह पूरा मामला बयानार थाना क्षेत्र के केजंग गांव का बताया जा रहा है। दरअसल, बीती देर रात नक्सलियों ने ग्राम पंचायत केजंग के मोबाइल टावर पर आग लगी दी जिससे मोबाइल टावर का कंट्रोल पैनल जलकर खाक हो गया। इसके बाद आसपास के इलाके में इस आगजनी की घटना के बाद दहशत का माहौल देखा गया। नक्सलियों ने इस आगजनी की घटना के बाद घटना स्थल पर एक बैनर पोस्टर भी लगाया।

कलेक्टर, एसएसपी ने मध्यान्ह भोजन चखकर जानी गुणवत्ता

रायपुर (आरएनएस)। कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह, एस एस पी संतोष सिंह ने आज शासकीय प्राथमिक शाला एवं आँगन बाड़ी केंद्र चिचोली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत चिचोली के शासकीय प्राथमिक शाला में मध्यान्ह भोजन खाकर मीड डे मील में मिलने वाले भोजन गुणवत्ता जाँची। आंगनबाड़ी के निरीक्षण के दौरान बच्चों से पूरक पोषण आहार एवं नाश्तें की जानकारी ली।

फ्लाइंग स्क्वायड टीम, जीएसटी एवं स्थैतिक निगरानी दल को कार्यवाही के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण

- फ्लाइंग स्क्वायड टीम प्राप्त शिकायतों पर करें त्वरित कार्यवाही-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल
- सामग्री वाहनों की जांच के समय वैध दस्तावेज के रूप में टैक्स इनवाइस अथवा ई-वे बिल होना जरूरी

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल की उपस्थिति में आज फ्लाइंग स्क्वायड टीम, जीएसटी एवं स्थैतिक निगरानी टीम को प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर गोयल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी हैं। आगामी होने वाले लोकसभा निर्वाचन में मतदाताओं को लुभाने, प्रभावित करने वाले सामग्रियों पर सख्ती से कार्यवाही करें। जिसके लिए सभी फ्लाइंग स्क्वायड टीम नियमित कार्यवाही करते हुए रिपोर्टिंग करें। इसके साथ ही मिलने वाले शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करें। उन्होंने सभी टीमों को समन्वय से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर ऋषा ठाकुर, एसडीएम प्रवीण तिवारी, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि जिले में निर्वाचन के मद्देनजर कैश, ज्वेलरी, शराब एवं प्रलोभन सामग्रियों का परिवहन हो सकता है, लिहाजा सभी टीमें मुश्तैदी के साथ कार्य करें। इस दौरान उन्होंने जीएसटी विभाग से जिले में स्थित वेयर हाउस, गोडाउन के संबंधित जानकारी लेते हुए गारमेंट्स, किचन सामग्री, स्पोर्ट्स समान के अवैध भंडारण की मौके पर जांच एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्राज्यीय सीमा से लगा हुआ है। अत: बॉर्डर से किसी भी प्रकार का अवैध शराब परिवहन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शॉपिंग साईट पर नजर रखने एवं बल्क में होने वाले डिलीवरी पर जांच के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों के शंका का समाधान भी किया।

जीएसटी अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन में प्रलोभन के लिए दी जाने वाली मुफ्त की वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किचन समान आदि के परिवहन वाहनों की जांच के समय वैध दस्तावेज के रूप में टैक्स इनवाइस अथवा ई-वे बिल होना आवश्यक हैं। उन्होंने दोनों बिलों के जांच के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में एफएसटी को सी-विजिल के उपयोग करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ ही किए गए कार्यवाही को इएसएमएस (इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम) में अपडेट करने के संबंध में जानकारी दी गई। कलेक्टर गोयल ने कहा कि जांच के फलस्वरूप कैश वस्तुओं के जप्त होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति वैध दस्तावेज के साथ कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 21 में उपस्थित होकर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर गोयल ने एफएसटी, एसएसटी को निर्देशित किया कि कार्य के दौरान निष्पक्षता तथा सामान्य शिष्टाचार का ध्यान रखा जाए।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि वाहनों की जांच के दौरान वीडियोग्राफी सुनिश्चित करें। संदिग्ध व्यक्ति अथवा बड़ी रकम मिलने पर सोर्स की जानकारी ले एवं संदेह होने पर संबंधित टीम से समन्वय करते हुए कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन हेतु एसडीएम की अनुमति अनिवार्य है। फ्लाईंग स्क्वायड टीम ऐसे आयोजन में प्राप्त अनुमति की जांच सुनिश्चित करें। इसके साथ ही बैंकों के क्यूआर लगे कैश वाहनों के मूवमेंट को प्रभावित किए बिना जांच सुनिश्चित किया जाए।

29 से 31 मार्च अवकाश दिवस में खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य (मुद्रांक एवं पंजीयन)आय शासन को अधिक से अधिक राजस्व प्रदाय करने के उद्देश्य से 29 से 31 मार्च तक शासकीय अवकाश के दिनों में भी पंजीयन कार्य करने हेतु निर्देश दिए है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत एनजीडीआरएस प्रणाली से पंजीयन कार्य हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष में मार्च माह के अंतिम सप्ताह में दिनांक 29 से 31 मार्च तक शासकीय अवकाश है। किन्तु अचल संपत्ति के खरीदी बिक्री से संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन के लिए पक्षकारों को असुविधा का सामना नही करना पड़े इसके लिए राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय वर्षान्त के अवकाश दिवसों 29 से 31 मार्च में भी खुले रहेंगे। पंजीयन के लिए पक्षकारों को स्टाम्प प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए ई-स्टाम्प काउंटर भी अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे।

मार्च माह में 16 मार्च के उपरान्त सभी शनिवार एवं रविवार को भी पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन कार्य होने से पक्षकारों को सुविधा हुई है। मार्च माह में प्रतिवर्ष सर्वाधिक दस्तावेजों का पंजीयन होता है। आम दिनों की अपेक्षा प्रतिदिन लगभग दो से तीन गुना दस्तावेज पंजीयन के लिए प्रस्तुत होते है, इसे ध्यान में रखते हुए इस वित्तीय वर्ष में मार्च माह में प्रतिदिन निर्धारित अपाईन्टमेंट की सीमा में भी वृद्धि करते हुए प्रात: 10 बजे से शाम 7 बजे तक अपाईन्टमेंट की सुविधा प्रदान की गई है। सामान्य दिवस में 5 बजे तक का ही अपाईन्टमेंट होता है। अवकाश दिवस में पंजीयन कार्य होने से वित्तीय वर्ष में ही पंजीयन कराने के इच्छुक पक्षकारों को सुविधा होने के साथ ही विभाग को प्राप्त होने वाले राजस्व में भी वृद्धि होगी।

लोकसभा निर्वाचन-2024... मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने जिले भर में आयोजित हो रहे विविध कार्यक्रम

- मतदान प्रतिशत बढ़ाने स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से जनसामान्य को किया जा रहा जागरुक

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में लोकतंत्र के उत्सव में मतदान करने के लिए जिले के विभिन्न विकासखंडों में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। जिसमें ग्रामीण बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे है।

इसी कड़ी में जनपद पंचायत पुसौर के ग्राम पंचायत चिखली में मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। इसके साथ ही खरसिया विकासखण्ड के ग्राम-हालाहुली में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। धरमजयगढ़ के कन्या छात्रावास, बाकारूमा एवं हाटी के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय में शपथ कार्यक्रम, लैलूंगा के कुर्रा बिरहोर बस्ती में रैली निकालकर शत-प्रतिशत मतदान करने हेतु अपील की गई। रंगोली के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इसी तरह जिले के अन्य विकासखण्डों में स्वीप संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। आयोजित स्वीप कार्यक्रम में अपूर्व उत्साह के साथ जनसामान्य शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों को मतदान के महत्व के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। ग्रामीणों को अपने आसपास, रिश्तेदारों, दोस्तों, परिवार सदस्यों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आव्हान किया गया।

भूपदेवपुर पुलिस ने ग्राम कांशीचुआ में मोटर सायकल पर शराब परिवहन कर रहे युवक को किया गिरफ्तार

- आरोपी से 09 लीटर महुआ शराब और बिना नंबर मोटर सायकल जब्त

रायगढ़

दिनांक 27/03/2024 को भूपदेवपुर पुलिस द्वारा ग्राम कांशीचुआ बस्ती चौक के पास मुखबीर सूचना पर बिना नम्बर मोटर सायकल सुजुकी हयाते पर शराब परिवहन कर रहे आरोपी दिनेश साहू पिता कंचन प्रसाद साहू (उम्र 35 वर्ष) साकिन कांशीचुआ थाना भूपदेवपुर जिला रायगढ़ को पकड़ा जिसके कब्जे से 09 लीटर महुआ शराब और अवैध परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल की जप्ती की गई है।आरोपी दिनेश साहू के कृत्य पर थाना भूपदेवपुर में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई किया गया है। थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक रामकिंकर यादव के नेतृत्व पर शराब रेड कार्रवाई में प्रधान आरक्षक शंभू पाण्डेय, आरक्षक बोधराम सिदार, विजय कुमार पटेल, कृष्ण कुमार वारेन और महिला आरक्षक गौरी सिदार शामिल थे।

एसडीएम वासु जैन ने लिया सामूहिक मतदाता शपथ

सारंगढ़-बिलाईगढ़

आईएएस वासु जैन एसडीएम सारंगढ़ ने अनुविभागीय राजस्व कार्यालय परिसर में संचालित सभी कार्यालयो के अधिकारी कर्मचारी के साथ सामूहिक मतदाता शपथ लिया। सभी ने शपथ किया कि "हम, भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाये रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगें |" इस अवसर पर जिला कोषालय अधिकारी चंद्रपाल सिंह ठाकुर सहित एसडीएम, कोषालय, तहसीलदार और पंजीयन कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

किशोर न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में दो नाबालिकों को दी 7 दिनों तक ट्रैफिक नियम सीखने और सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन कराने की सजा

रायगढ़

किशोर न्याय बोर्ड, जिला रायगढ़ के प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा सड़क दुर्घटना के दो मामले में आरोपित विधि के संघर्षरत बालकों को 7 दिनों तक दो-दो घंटे यातायात नियमों की जानकारी लेने और यातायात नियमों का पालन कराते हुए सेवा लेने का दंड दिया गया है। आरोपित एक बालक थाना सरिया, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं दूसरा बालक थाना भूपदेवपुर क्षेत्र का रहने वाला है। यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार विधि से संघर्षरत बालकों को दुर्घटना घटित होने के यातायात कारकों की जानकारी देते हुए ट्रैफिक के बेसिक नियम बताए गए जिसमें- दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना, दो पहिया वाहन में तीन या उससे अधिक सवारी नहीं बैठना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना, ओव्हर स्पीड/स्टंट/रेस ड्राइविंग ना करना, हमेशा बाई और चलना, शराब सेवन कर वाहन ना चलाना, हमेशा वाहन पार्किंग स्थल पर ही पार्क करना, नाबालिकों द्वारा वाहन नहीं चलाना तथा यातायात के महत्वपूर्ण संकेतों का ज्ञान कराया गया, साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों में उनसे यातायात नियमों का पालन करने की सेवाएं ली गई तथा सजा अवधि समाप्त होने पर माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया है।

एसडीएम वासु जैन ने मतदान केन्द्र और निर्वाचन प्रशिक्षण का किया अवलोकन

सारंगढ़ बिलाईगढ़

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सारंगढ़ विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोडम में 27 मार्च से प्रशिक्षण संचालित है, जिसमें लगभग 450 निर्वाचन कार्मिक प्रतिदिन शामिल हो रहे हैं।

सारंगढ़ एसडीएम वासु जैन ने गोडम के मतदान केन्द्र में आवश्यक बुनियादी सुविधा सहित स्कूल के 4 कक्षा में संचालित प्रशिक्षण कार्य का अवलोकन किया। जैन ने इस अवसर पर कहा कि सभी कार्मिक निर्वाचन की प्रक्रिया से जुड़े सभी बारीकियों को समझ ले। किसी प्रकार की कोई शंका हो तो उसका समाधान मास्टर ट्रेनर से कर लें। इस अवसर पर जिला मास्टर ट्रेनर चूड़ामणि गोस्वामी, जे आर बंजारे, एस आर अजय, टी पी चंद्रा, विधानसभा मास्टर ट्रेनर विजय महिलाने, भगवान प्रसाद आदि उपस्थित थे।

प्रशिक्षण में ईव्हीएम मशीन और व्हीव्हीपैट का प्रायोगिक प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर्स ने मतदान सामाग्री प्राप्त करने, मतदान केन्द्र तक परिवहन के दौरान सावधानी बरतने, मतदान केन्द्र में ईव्हीएम व वीवीपैट को रखने, मॉकपोल, निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर लिफाफा में सुरक्षित रखने, मतदान पश्चात मशीन व दस्तावेजों को जमा करने आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग और बुनियादी सुविधा के लिए कलेक्टर साहू ने ली बैठक

सारंगढ़-बिलाईगढ़

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने जिले के वेबकास्टिंग मतदान केंद्रों के नोडल अधिकारियों और सभी सेक्टर अधिकारियो की समीक्षा बैठक ली। यह बैठक मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग और बुनियादी सुविधा सुनिश्चित (असियोर्ड मिनिमम फैसिलिटी, एएमएफ) पर केंद्रित था। बैठक में कलेक्टर ने वेब कास्टिंग के लिए मोबाइल कंपनियों का टावर, केबल, पेयजल, मतदान दल के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था, सभी मतदान केंद्रों के बाहर लेखन कार्य, संकेत सूचक, खिड़की दरवाजा शौचालय, वोटर बूथ, हेल्प डेस्क मतदाता सहायता कक्ष, रूट चार्ट, टेबल, बिजली, दिव्यांग मतदाताओं हेतु व्हील चेयर की व्यवस्था, महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम वासु जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिकेत साहू, डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल, निर्वाचन पर्यवेक्षक हरिकिशन डनसेना, महावीर चौहान सहित समस्त सेक्टर अधिकारी उपस्थित थे।

मतदान केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने सेक्टर अधिकारियो को मतदान केंद्रों में भौतिक निरीक्षण कर बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने कहा। सुनिश्चित बुनियादी सुविधा अंतर्गत मतदान केंद्रों में संकेत-सूचक, व्हीलचेयर या अन्य वाहनों से आने वाले दिव्यांगजनों के लिए पार्किंग (जो रोड से दिखाई दे), प्रवेश के पश्चात कतार का संकेत देने वाला तीर का निशान

मतदान कार्मिकों को संकेत देने वाला तीर का निशान

पुरूष / महिला शौचालयों के लिए संकेत, दिव्यांग मतदाताओं हेतु शौचालयों के लिए संकेत

पीने के पानी के लिए संकेत

हैल्प डेस्क, 3 व्यक्तियों के बैठने के लिए 4'x2½ की मेजें-मतदान केन्द्र में प्रवेश करने वाले मतदाताओं (विशेष रूप से दिव्यांगजन) का मार्गदर्शन तथा सहायता करने के लिए बूथ पर्चियों के साथ एक बूथ लेवल अधिकारी, दो एनएसएस, एनएससी स्वयंसेवक (1 पुरूष 1 महिला), रैम्प 1:10 अनुपात की ढ़लान का होना चाहिए परन्तु यह 1:14 अनुपात से अधिक न हो। पकड़ने के लिए मजबूत रेलिंग लगाई जानी है जो हिले ना। यदि मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं तो वहां रैंप भी बनाया जाना चाहिए। शौचालय

क्या पुरूष और महिला मतदाताओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध हैं

क्या शौचालय दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल हैं, क्या शौचालयों में नल का पानी उपलब्ध है। यदि नल के पानी की सुविधा नहीं है तो क्या व्यवस्था की गई है? पीने का पानी, क्या पीने के पानी की सुविधा है। अलग-अलग प्रवेश एवं निकास द्वार, क्या मतदान केन्द्र में अलग-अलग प्रवेश एवं निकास द्वार बनाए गए हैं। यदि अलग-अलग प्रवेश एवं निकास द्वार नहीं हैं, तो क्या बीच में रस्सी लगाकर प्रवेश और निकास को अलग-अलग किया जा सकता है।

प्रकाश,दो प्लग पॉइंट के साथ बिजली का कनेक्शन, कम से कम 1 पंखा

2-3 ट्यूबलाइट्स, फर्नीचर, क्या पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है?

जिस मेज पर बैलेट यूनिट रखी गई है, उसकी ऊंचाई इतनी हो कि वह उस तक पहुँच सके, व्हीलचेयर के लिए मेज के आस-पास आने-जाने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए आदि शामिल थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480